

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक प.3(117)सूप्रौ/लेखा/08/1/5895/2013
जिला कलक्टर (समस्त)
.....।

जयपुर दिनांक 15.04.2013

विषय : जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित कार्मिकों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता मद में बजट आवंटन बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला मुख्यालय पर पदस्थापित इस विभाग के कार्मिकों हेतु वर्ष 2013-14 में यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता के भुगतान हेतु निम्न बजट शीर्षों में निम्न प्रकार से बजट आवंटन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट मद :

बजट मद 3454-02-203-01-02 (आयोजना) यात्रा व्यय

क्र.सं.	जिला	राशि
1	अजमेर	7500
2	अलवर	6500
3	दौसा	2500
4	जैसलमेर	3000
5	कोटा	3000
6	पाली	5000
	योग	27500

बजट मद 3454-02-203-01-02 (आयोजना) चिकित्सा व्यय

क्र.सं.	जिला	राशि
1	अजमेर	12200
2	जोधपुर	2700
3	पाली	2000
	योग	16900

बजट मद 3454-02-789-01-03 (आयोजना) यात्रा व्यय

क्र.सं.	जिला	राशि
1	बाडमेर	8000
2	भीलवाडा	1000
	योग	9000

बजट मद 3454-02-796-02-03 (आयोजना) यात्रा व्यय

क्र.सं.	जिला	राशि
1	प्रतापगढ़	1000
2	उदयपुर	3600
	योग	4600

उक्त व्यय निम्नानुसार किया जायेगा:-

- व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- व्यय का समस्त रिकार्ड जिला स्तर पर संघारित किया जायेगा।
- अंकेक्षण व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा मांगे जाने पर समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
- मासिक व्यय की सूचना हर माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाये।

sd-
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
- निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
- कोषाधिकारी समस्त
- लेखा शाखा


वित्तीय सलाहकार